राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 186/2007

मोहन लाल बुनकर

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए शासन सचिव, (माध्यमिक शिक्षा), शिक्षा विभाग, सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त (माध्यमिक शिक्षा), शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
3. शिक्षा उप निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा), शिक्षा विभाग, उदयपुर मण्डल, उदयपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा), शिक्षा विभाग, राजसमन्द।
5. प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, छापली, जिला राजसमंद।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतीकरण की दिनांक : 23.06.2007
आदेश की दिनांक : 16.04.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री गजेन्द्र, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री यशवंत मेहता, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने आलोच्य आदेश दिनांक 23.11.2006 एवं दिनांक 01.12.2006 (अनुलग्नक–09 व 10) को अपास्त किए जाने एवं अपीलार्थी को अध्यापक (द्वितीय वेतन श्रृंखला में पदोन्नति पर राजस्थान सेवा नियम के नियम–26'ए' के लाभ प्रदान कराने तथा पूर्ववत् ही वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ देने एवं अधिक भुगतान पेटे जो वसूल की गई राशि को 18 प्रतिशत ब्याज सहित समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जाने का अनुतोष चाहा है।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी को दिनांक 09.10.1986 (अनुलग्नक–1) के आदेश द्वारा प्रथम नियुक्ति अध्यापक श्रेणी तृतीय के पद पर की गई। तत्पश्चात् आदेश दिनांक 19.07.2001 (अनुलग्नक–5) के द्वारा अपीलार्थी को द्वितीय वेतन श्रृंखला में पदोन्नति प्रदान की गई। अपीलार्थी के अधिवक्ता का आगे कथन है कि आदेश दिनांक 30.10.2006 (अनुलग्नक–7) द्वारा अपीलार्थी को अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर पदोन्नति पर निर्धारित देय वार्षिक वेतन वृद्धि के बाबत् अधिक भुगतान की वसूली रुपये 14,992/– करने के आदेश जारी किए गए तथा अपीलार्थी की पदोन्नति पर नियमानुसार देय वार्षिक वेतन वृद्धि जो कि दिनांक 01.09.2001 को प्राप्त हो रही थी उस तिथि को आगे बढाते हुए दिनांक 28.07.2002 कर दी गई एवं पूर्व में किए गए अधिक भुगतान की वसूली के आदेश जारी कर दिए गए, जो कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 17.11.2006 को उक्त राशि प्रत्यर्थी विभाग में जमा करवा दी गई एवं राजस्थान सेवा नियम के नियम–26'ए' के प्रावधानों का लाभ

प्रदान नहीं किया गया है। जिससे अपीलार्थी को प्रति माह निरन्तर आर्थिक हानि हो रही है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि आलोच्य आदेश दिनांक 23.11.2006 एवं दिनांक 01.12.2006 (अनुलग्नक–09 व 10) को अपास्त किए जाने एवं अपीलार्थी को अध्यापक (द्वितीय वेतन श्रृंखला में पदोन्नति पर राजस्थान सेवा नियम के नियम–26'ए' के लाभ प्रदान कराने तथा पूर्ववत् ही वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ देने एवं अधिक भुगतान पेटे जो वसूल की गई राशि को 18 प्रतिशत ब्याज सहित समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए का आदेश फरमाया जावे।

3. प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता ने लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा जो अनुतोष चाहा गया है वह वित विभाग द्वारा जारी किए गए समय–समय पर परिपत्रों/अधिसूचनाओं के अनुसार ग्राह्य नहीं है। राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 08.06.2001 की अनुपालना में अपीलार्थी की वेतन श्रृंखला संशोधित की गई है, जो कि नियमानुसार है। प्रत्यर्थी विभाग को अपने कर्मचारियों के वेतन में कमी/बढोत्तरी करने का पूर्ण अधिकार है। यह प्रकरण अर्थमेटिक होने के कारण इसके अपील के जरिए चुनौती नहीं दी जा सकती है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज किए जाने योग्य है।
4. हमने विद्वान् अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी की तरफ से यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के स्वयं के अनुरोध एवं न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थी को दें। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिये जा रहे हैं, वरन् मात्र इस आशय से दिये जा रहे हैं कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

SD/-

(असलम मेहर)
सदस्य

SD/-

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य